

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.24(3)न्याय/2024

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981 के नियम 32 व 35 के अन्तर्गत निम्नलिखित अस्थाई विधि रचनाकार को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से विधि रचनाकार के पद पर एतद्वारा स्थाई किया जाता है:-

क.सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/डॉ.)	स्थाईकरण दिनांक
1.	रविन्द्र सिंह भडिया	24.08.2024
2.	ताराचन्द जांगिड़	30.08.2024
3.	कायनात खान	04.08.2024

आज्ञा से,

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित कार्मिक/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव